राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

पत्रावली संख्याःटी.पी./सीपी/एनसीएसटी/झारखण्ड/2016/3 दिनांक 20/6/2016

माननीय डा. रामेश्वर उराँव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिनांक 17/04/2016 से 18/04/2016 तक झारखण्ड राज्य के जिला-चतरा के राजकीय प्रवास की रिपोर्ट निम्नानुसार है ।

माननीय अध्यक्ष के राजकीय प्रवास के दौरान श्री एन.एम. त्रिपाठी, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, श्री चेतन कुमार शर्मा, अन्वेषक एवं श्री सुखदेव, वैयक्तिक सहायक भी साथ रहे है ।

दिनांक 17/04/2016

राँची से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान कर वाया चन्दवा से जिला चतरा मुख्यालय पहुंचे । परिसदन चतरा पहुंचने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा जनजातीय प्रतिनिधियों द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया ।

परिसदन में जनजाति वर्ग के प्रतिनिधियों एवं आदिवासियों ने माननीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात कर अपने प्रतिवेदन दिये तथा क्षेत्रीय एवं पुर्नवास समस्याओं से अवगत कराया ।

दिनांक 18/04/2016

चतरा जिला प्रशासन एवं सैन्ट्रल कोलफिल्डस लि. द्वारा संयुक्त रूप से प्रशिक्षण (ट्रैनिंग) भवन में सेन्ट्रल कोलफिल्डस की अशोका, मगध, आम्रपाली, पिपरवार तथा डकरा परियोजनाओं से पुर्नवास प्रभावित परिवारों की समस्याओं तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 की अनुपालना के संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में **जनसुनवाई** का आयोजन किया गया ।

जनसुनवाई के प्रारम्भ में चतरा जिला प्रशासन के पदाधिकारियों एवं सैन्ट्रल कोलफिल्डस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय का पुष्पगुंछ एवं माल्यापर्ण कर स्वागत किया गया ।

जनसुनवाई के दौरान जिला प्रशासन द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किये गये वन भूमि के पट्टों का वितरण माननीय अध्यक्ष महोदय के कर-कमलों से करवाया गया, लाभार्थियों की सूची निम्नवत है ।

क्र.	लाभुक का नाम	पिता/पति का नाम	पता	प्रखंड	खाता संख्या	प्लॉट न.	रकवा (एकड़ में)
1	विजय बिरहोर	लहरा बिरहोर	ग्राम-गिद्धौर, पंचायत गिद्धौर	गिद्धौर	227	4163	1.60
2.	महेश बिरहोर	सुदी बिरहोर	ग्राम-गिद्धौर, पंचायत गिद्धौर	गिद्धौर	227	4163	1.34
3.	नैना बिरहोर	बहरा बिरहोर	ग्राम-गिद्धौर, पंचायत गिद्धौर	गिद्धौर	227	4163	1.60
4.	विडियो बिरहोर	खुटी बिरहोर	ग्राम-गिद्धौर, पंचायत गिद्धौर	गिद्धौर	227	4163	1.20
5.	संतोष नाग	स्व. दाउद नाग	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	1886/8 1886/3 1886/10 1886/7 1886/7 1886/17	5.36
6.	जोसेफ मुण्डु	बीरसिंह मुण्डु	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	13386/5 1386/12 1386/9 1386/4 1386/18	5.60

						1386/21 1386/14	
7.	सुलेमात मुण्डु	स्व. दाउद मुण्डु	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	1386	3.61
8.	सामुएल तिर्की	पौलूस पुर्ति	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	1386/5 1386/12 1386/5 1386/15	2.78
9.	हनुक मुण्डु	नेहमिया मुण्डु	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	1386/3 1386/13 1386/14 1386/15 1386/04 1386/10 1386/10	5.55
10.	अब्राहम नाग	स्व. बोअस नाग	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	1386/11 1386/1 1386/7 1386/9 1386/9 1386/9	4.33
11.	सलोनी मुण्डु	स्व. मनसिद मुण्डु	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	1386/13 1386/11 1386/13 1386/6 1386/1 1386/6	4.33
12.	पसना हस्सा	सोहराई हस्सा	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	1386/16 1386/8 1386/4 1386/2 1386/3	3.31

13.	सामुलन नाग	जुनास नाग	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	1386/8 1386/10 1386/18 1386/5 1386/6 1386/5	5.71
14.	अलफ्रेड मुण्डु	मेहनिया मुण्डु	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	1386/2 1386/5 1386/19 1386/17	3.21
15.	सुतगन पुर्ती	बोवास	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	1386/4 1386/4 1386/8	2.50
16.	लोवास पुर्ती	स्व. सामुएल पुर्ती	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	1386/13 1386/14 1386/14 1386/2 1386/13	4.13
17.	अब्राहम चौरिया	जोसेफ चौरिया	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	1386/9 1386/14 1386/1 1386/1 1386/11 1386/11	4.33
18.	टिलहर हस्सा	स्व. नियारण हस्सा	ग्राम बारियातु, पंचायत बारियातु	गिद्धौर	100	1386/1 1386/1 1386/7 1386/12 1386/16 1386/12	4.33

वन भूमि के पट्टों के वितरण के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियम 1995 के तहत अत्याचार

पीड़ितों को जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता के चैकों का भी वितरण किया गया ।

क्र.सं.	पीड़ित व्यक्तियों का नाम एवं पता	पता	स्वीकृत राशि
1.	श्री लोकनाथ राम पिता श्री फुलचन्द्र राम	ग्राम-डाडी, पोस्ट-एदला, थाना-सिमरिया, जिला चतरा	15000/-
2.	रेखा देवी पति काली भुईयां	सा0 बकचुम्मा, थाना राजपुर, जिला चतरा	15000/-
3.	कंचन कुमारी पिता रामविलास चौधरी	सा0 कान्हाचट्टी, थाना राजपुर, जिला चतरा	1500/-
4.	सुजीत कुमार पिता भुनेश्वर रविदास	सा0-राजाचक, थाना राजपुर, जिला चतरा	15000/-
5.	जोवाकिम उराँव पिता स्व. श्री बिरसा उराँव	ग्राम चिकोर, थाना राजपुर, जिला चतरा	15000/-
6.	अजय राम पिता कैलाश राम	सा0-सबानो, थाना सिमरिया, जिला चतरा	15000/
7.	रिंकी कुमारी पिता सरोज भोक्ता उर्फ सरोज गंझू	सा0-टुटकी, थाना सिमरिया, जिला चतरा	15000/
8.	रूबी देवी पति बंधन भुईया	सा0-सुरहुद थाना वशिष्टनगर नैहर जिला चतरा	15000/
9.	सकुन्ती देवी पति स्व.	सा0-गांगपुर, थाना गिद्धौर, जिला	15000/

	जुगेशवर दास	चतरा	
10.	रंजनी देवी पति सत्यनारायण पासवान	सा0 नावाडीह थाना हंटरगंज, जिला चतरा	15000/

जनसुनवाई में अनुसूचित जनजाति चिकित्सा अनुदान स्वीकृति के तहत भुगतान किये गये चैकों के लाभार्थियों की सूची **अनुलग्नक 1** पर सलंग्न है ।

आयोग को सैन्ट्रल कोलफील्डस की विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित अनुसूचित जनजाति के लोगों से प्राप्त भूमि अधिग्रहण, नौकरी, मुआवजे तथा पट्टों से संबधित निम्न मामलों पर सैन्ट्रल कोलफील्डस प्रबन्धन को पत्र भेजे गये थे परन्तु आयोग को प्रत्युत्तर एवं अनुवृति कार्यवाही प्राप्त नहीं होने के कारण आयोग द्वारा दिनांक 18/4/2016 को ट्रेनिंग हाल, जिला चतरा में सी.सी.एल. प्रबन्धन के साथ जन सुनवाई/बैठक की गई ।आयोग द्वारा सैन्ट्रल कोलफील्डस को भेजे गये प्रकरणों की की सूची एवं विवरण निम्नानुसार है ।

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	प्रकरण का विषय	विवरण
1.	KL/2/2014 /MCOL1/S EOTH/RU-	भूमि अधिग्रहण के मामलों में नौकरी प्रदान नहीं करने के संदर्भ में श्री कोलेश्वर मांझी, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया	दिनांक 22.04.2014 को सीएमडी, सीसीएल, रांची, झारखण्ड को पत्र भेजा गया। दिनांक 10.06.2014 को अनुस्मारक भेजा गया। सीसीएल से प्राप्त दिनांक 10. 07.2014 का प्रत्युत्तर अभ्यावेदक को

	IV	अजा / जजा / अपिव कर्मचारी समन्वय कौन्सिल, रामगढ़, झारखण्ड का अभ्यावेदन	दिनांक 04.09.2014 को सूचित किया गया जिसमें उल्लेख था कि श्री कोलेश्वर मांझी, उरीमारी गांव के खाता सं0 1, 13 और 15 के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के बदले गीता कुमारी, श्री सिकन्दर सोरेन और श्री मुकेन्द्र सोरेन की नौकरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। तथापि श्री मांझी ने भूमिहीन को नौकरी देने के लिए दिशा–निर्देश में दिए गए आवश्यक कागजात / दस्तावेज जिसमें नौकरी पाने वाले आवेदकों को सहमति देते हुए सभी वयस्क सदस्य की ओर से जेनालॉजिकल चार्ट, इण्डेमनिटी बॉन्ड, ऐफिडेबिट आदि प्रस्तुत नहीं किए। श्री मांझी को इसके बारे में सूचना दी गई और आगे की कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित कागजातों / दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।
2.	AM/6/2015/MCOL1/SEOTH/RU-IV	भूमि के बदले नौकरी के संबंध में श्री अर्जुन मुंडा, रामगढ़, झारखण्ड से प्राप्त दिनांक 28.07.2015 का अभ्यावेदन।	दिनांक 20.08.2015 को सीएमडी, सीसीएल, रांची को नोटिस भेजा गया। प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सीसीएल को अनुस्मारक भेजा जा रहा है।
3.	RPR/9/2015/MCOL1/SEOTH/RU-IV	भूमि के बदले नौकरी के संबंध में श्री राम प्रवेश राम, सचिव, ऑल इंडिया अजा / जजा / अपिव कर्मचारी समन्वय कौन्सिल, रांची, झारखण्ड से प्राप्त दिनांक 29.06.2015 का अभ्यावेदन।	दिनांक 18.09.2015 को सीएमडी, सीसीएल, रांची को नोटिस भेजा गया। प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
4.	AO/2/2016/MCOL1/DEOTH/RU-IV	सीसीएल में भूमि के बदले नौकरी के संबंध में श्री अनुप उरांव, चतरा, झारखण्ड से प्राप्त अभ्यावेदन।	दिनांक 28.03.2016 को सीएमडी, सीसीएल, रांची को नोटिस तथा सूचना के लिए अभ्यावेदक को एक प्रति भेजी गयी।
5.	MRM/1/2015/MCO	भूमि के बदले नौकरी के संबंध में श्री मुनिश राम	दिनांक 30.06.2015 को सीएमडी, सीसीएल, रांची को नोटिस भेजा गया।

	L1/DEOTH /RU-IV	मांझी, हजारीबाग, झारखण्ड से प्राप्त दिनांक 23.06.2015 का अभ्यावेदन।	प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
6.	FB/1/2016 /MCOL1/D EOTH/RU-IV	सीसीएल में भूमि के बदले नौकरी के संबंध में श्री फागु बेसरा, केन्द्रीय अध्यक्ष सह महासचिव, रामगढ़ झारखण्ड से प्राप्त दिनांक 01.03.2016 का अभ्यावेदन।	दिनांक 18.03.2016 को सीएमडी, सीसीएल, रांची को नोटिस तथा सूचना के लिए अभ्यावेदक को एक प्रति भेजी गयी।
7.	BKK/9/201 4/MCOL1/ SEOTH/RU -IV	अधिग्रहीत भूमि के बदले प्रतिपूरक नियुक्ति के संबंध में श्री विनय कुमार खलखो एवं अन्य, कुड़की, बहेरा, चतरा, झारखण्ड से प्राप्त अभ्यावेदन।	दिनांक 28.01.2015 और दिनांक 05.05. 2015/06.05.2015 को एनसीएसटी, रांची में एक बैठक आयोजित की गई। आयोग ने निम्नलिखित सलाह दीः (i) क्र.सं. 1 से 27 तक सूचीबद्ध भू–स्वामियों के लिए, मुआवजे के लिए मूल भू–स्वामियों का सत्यापन यथाशीघ्र किया जाए। (ii) राज्य सरकार क्र.सं. 28 और 29 पर सूचीबद्ध गलत दावा करने वालों के विरूद्ध जांच के लिए आदेश दे सकती है। क्योंकि तथ्य यह है कि दावाकर्ता उक्त गांव के निवासी नहीं थे तब कैसे भूमि उनके नाम में राजस्व रिकॉर्ड में थी। (iii) यह भी सुनिश्चित किया गया कि वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के मुद्दे की भी चर्चा हुई। जिला प्राधिकारी शीघ्र कार्रवाई करेंगे। (iv) नोटः दौरे के दौरान जिला प्राधिकारियों द्वारा माननीय अध्यक्ष, एनसीएसटी को एटीआर उपलब्ध करवायी गयी।
8.	FB/5/2016 /MCOL1/S	सीसीएल द्वारा भूमि के बदले नौकरी नहीं देने के	दिनांक 08.04.2016 को सीएमडी, सीसीएल, रांची को नोटिस तथा सूचना के

	EOTH/RU-IV	संबंध में फागू बेसरा, गांव+पोस्ट–हेसागढ़, थाना–मंडू, जिला–रामगढ़ का अभ्यावेदन।	लिए अभ्यावेदक को एक प्रति भेजी गयी।
9.	RR/8/2014 / MCOL1/ SEOTH/RU -IV	सीसीएल में श्री शंकर टाना भगत का अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में श्री राम प्रवेश राम, सचिव ऑल इंडिया अजा / जजा / अपिव कर्मचारी समन्वय कौन्सिल, रांची, झारखण्ड का अभ्यावेदन।	1. श्री रंजीत टाना भगत जो पहले करकाटा कोयलारी में थे दिनांक 29. 09.1997 से लापता हो गये। 2. एसओ(पी एण्ड ए), एन.के. उनके पत्र दिनांक 26.03.2015 द्वारा सूचित किया गया, दिनांक 18.03.2000 को श्रीमती झिबीया देवी पत्नी रंजीत टाना भगत ने अपने पुत्र विजय शंकर टाना भगत के लिए अनुकम्पा नौकरी मांगी। 3. सीसीएल से दिनांक 22.05.2015 को प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि कंपनी की नीति के अनुसार ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नौकरी प्रदान नहीं की जाती है जो लापता हो गया अर्थात् नीति अनुसार, सिविल मृत्यु के मामले में कम्पनी अनुकम्पा रोजगार नहीं देती है। उपरोक्त बिन्दु, मामला न्यायाधीन है। 4. उपरोक्त प्रत्युत्तर अभ्यावेदक को दिनांक 30.06.2015 को सूचित किया गया। 5. आगे की कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है।
10.	RB/1/2015 / MCOL1/SE OTH/RU-IV	उत्पीड़न के संबंध में श्री रामेश्वर भोग्ता, अध्यक्ष, ऑल इंडिया अजा / जजा / अपिव कर्मचारी समन्वय कौन्सिल, पीपरवार, चतरा, झारखण्ड से प्राप्त अभ्यावेदन	सीएमडी सीसीएल रांची को दिनांक 17. 09.2015 को नोटिस भेजा गया। प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सीसीएल को अनुस्मारक भेजा जा रहा है।

11.	SK/4/2016 / MCOL1/SEOTH/RU-IV	प्रतिपूरक नौकरी के संबंध में श्री संजय कुमार, क्षेत्रीय सचिव, ऑल इडिया अजा / जजा / अपिव कर्मचारी समन्वय कौन्सिल, जूजू, सीसीएल, जिला–रामगढ़ का दिनांक 30.03.2016 का अभ्यावेदन	दिनांक 31.03.2016 को सीएमडी, सीसीएल, रांची को नोटिस तथा सूचना के लिए अभ्यावेदक को एक प्रति भेजी गयी।

जनसुनवाई के दौरान अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों/प्रतिवेदनों सूची निम्न है ।

01.	श्री लक्खी उराँव पुत्र श्री चैता उराँव गाँव देवलगढ़ा (सराढु)थाना टण्डवा, जिला चतरा	वंशावली रिकार्ड चाहिये । जमीन खादान में चली गई है । नौकरी नहीं मिली मुआवजा मिल गया है	अशोका
02.	श्री शंकर उराँव पुत्र श्री रामधनी उराँव, ग्राम करकट्टा, पोस्ट खलारी, राँची	अधिग्रहण के बदले नौकरी नहीं मिली	करकट्टा परियोजना
03.	रामप्रवेश राम ग्राम धमधमियाँ, पोस्ट नावाडीह, थाना खलारी, राँची	जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी के संबंध में	एन.के.
04.	राजू उराँव पुत्र श्री मंगरा उराँव, ग्राम कारो, पोस्ट बहेरा, चतरा	प्रार्थी की जमीन पर दूसरे लोगों द्वारा नौकरी पाने के संबंध में	
05.	संजय कुमार ग्राम पुण्डी, पोस्ट जेसागढ़ा, रामगढ़	अनुकम्पा के आधार पर नौकरी के संबंध में	
06.	देवानन्दवा मुण्डा ग्राम पोस्ट सारूबेड़ा, रामगढ	सीसीएल राँची में अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने के संबंध में	
07.	बालेश्वर उराँव एवं अन्य ग्राम हेंजदा/कुटकी, पोस्ट बहेरा, जिला चतरा	नौकरी, पुर्नवास एवं मुआवजा के संबंध में	

08.	बाबूलाल टाना भगत ग्राम सरैया, थाना पिपरवार, प्रखण्ड टण्डवा, चतरा	नौकरी एवं मुआवजा दिलवाने के संबंध में	पिपरवार
09.	सैनाथ टाना भगत पुत्र स्व. श्री बुधन टाना भगत स. तोरहद, थाना पिपरवार, चतरा	अधिग्रहित भूमि की एवज में नौकरी एवं मुआवजा दिलवाने के संबध में	पिपरवार
10.	फूलजेन्स तिग्गा ग्राम ठेठांगी, पोस्ट बहेरा, चतरा	सराकरी जमीन के सत्यापन के संबंध में एवं मुआवजा व नौकरी दिलवाने के संबंध में	पिपरवार
11.	बिनोद टोप्पों ग्राम देवलगडा, पोस्ट सराढ़ु, प्रखण्ड टण्डवा, चतरा	पिता की मृत्यु उपरान्त नौकरी का जमा पैसा दिलवाने के संबंध में	डकरा चोरी
12.	सातेसर उराँव ग्राम सुईयाटाँड, बूढ़ीपात, थाना टण्डवा, चतरा	जमीन का पट्टा, नौकरी एवं मुआवजा दिलवाने के संबंध में	
13.	शंकर टाना भगत	अनुकम्पा के आधार पर नौकरी एवं प्रताडित करने के संबंध में	
14.	फुलजेन्स तिग्गा ग्राम ठेठांगी, पोस्ट बहेरा, थाना पिपरवार, जिला चतरा	पिपरवार प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित जमीन के बदले नौकरी एवं मुआवजा दिलवाने के संबंध में	पिपरवार
15.	दसई उराँव पुत्र स्व. अकला उराँव ग्राम झोलण्डीया,जिला चतरा	पुर्नवास एवं मुआवजा के संबंध में	अशोका

अनुवृति कार्यवाही सी.सी.एल. प्रबंधन द्वारा

सैन्ट्रल कोलफील्डस परियोजनाओं से विस्थापित परिवारों की भूमि सत्यापन, वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा दिलवाने, बन्दोबस्ती, जमीन का नक्शा प्रदान करने, भूदान की रसीद निर्गत करने तथा भूमि का पट्टा निर्गत करवाने के संबध में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों से प्राप्त अभ्यावेदनों की सूची निम्नानुसार है ।

क्र.सं.	**नाम एवं पता**	**विषय**	**परियोजना का नाम**
01.	तानेश्वर उराँव पुत्र श्री लालदेव उराँव कारो टोला दुमुहान थाना पिपरवार, चतरा	भूमि सत्यापन करवाने के संबंध में	
02.	छठू गंझू पुत्र श्री बन्धु गंझू सिढ़ालु, थाना पिपरवार, चतरा	जमीन का सत्यापन करवाने के संबंध में	
03.	राम दयाल उराँव ग्राम कोयलरा, थाना टण्डवा, चतरा	वन भूमि का पट्टा दिलवाने के संबंध में	
04.	विश्वनाथ गंझू एवं अन्य विश्रामपुर एवं करकट्टा प्रखण्ड खलारी, जिला राँची	गैरमजरूआ जमीन की फर्जी बंदोबस्ती के रद्द करने के संबंध में	
05.	अमृत उराँव पुत्र इन्द्रदेव उराँव ग्रमा कल्याण पुर,पोस्ट बहेरा, चतरा	जमीन का सत्यापन करवाने के संबंध में	पिपरवार
06.	इन्द्रदेव उराँव पुत्र श्री बासुदेव उराँव ग्राम कल्याणपुर, टण्डवा, चत्तरा	जमीन के बदले मुआवजे के संबंध में	पिपरवार
07.	दिलीप उराँव ग्राम कल्याणपुर पोस्ट बहेरा, थाना पिपरवार, चतरा	जमीन को सत्यापन करवाने के लिये	
08.	अनुप उराँव ग्राम कारों पोस्ट बहेरा, थाना पिपरवार, चतरा	प्रार्थी की रैयत जमीन का गलत तरीके से सीसीएल में	

		नियोजन हुआ है	
09.	सुकुरमणी देवी पुत्री श्री बीफा उराँव, कल्याणपुर, थाना पिपरवार अंचल टण्डवा, चतरा	अधिग्रहित भूमि का सत्यापन करवाने के संबंध में	
10.	जेवियर तिग्गा एवं अन्य ग्राम ठेठांगी, थाना पिपरवार, चतरा	जमीन का नक्शा प्रदान करवाने के संबंध में	
11.	अलेक्जेंडर तिग्गा, ग्राम ठेठांगी, थाना पिपरवार, चतरा	भुदान जमीन का रसीद निर्गत करने के संबंध में	अशोका
12.	कृष्णा ग्राम तोरहद, पोस्ट बहेरा, थाना पिपरवार, जिला चतरा	पिपरवार परियोजना द्वारा विस्थापित किये गये ग्रामीणों को प्रताड़ित करने के संबंध में	पिपरवार
13.	कोलेश्वर टाना भगत एवं अन्य ग्राम कल्याणपुर, प्रखण्ड टण्डवा, चतरा	असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी एंव वनभूमि पर अवैध कब्जा कर दलाली करने के संबंध में	पिपरवार
14.	श्रीमती शोभा कुजूर, पूर्व जिला परिषद सदस्य ग्राम कल्याणपुर, पोस्ट बहेरा, थाना पिपरवार, चतरा	अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की समस्याओं के संबंध में	पिपरवार
15.	मोहन उराँव ग्राम देवलगडा, पोस्ट सराढु, थाना टण्डवा, चतरा	भूमि पट्टा दिलवाने के संबंध में	
16.	प्रकाश उराँव एवं अन्य ग्राम सुईयाटांड, पोस्ट सराढु, थाना टण्डवा, चतरा	भूमि पट्टा निर्गत करने के संबंध में	
17.	बिरछा उराँव एंव गवेदरा उराँव	भूमि पट्टा निर्गत करने के संबंध में	
18.	बासदेव उराँव एवं संजय उराँव ग्राम देवलगडा सराढु	जमीन का पट्टा निर्गत करने के संबंध में	

	टोला, प्रखण्ड टण्डवा, चतरा		
19.	बंगलू उराँव ग्राम देवलगडा पोस्ट सराढु, थाना टण्डवा, चतरा	भूमि का पट्टा निर्गत करने के संबंध में	
20.	तेतरा उरॉव ग्राम देवलगडा, थाना टण्डवा, चतरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
21.	सरजु गंझू, जोगीपुरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
22.	चरक कमीली एवं अन्य ग्राम कुण्डी, पोस्ट सराढु, थाना टण्डवा, चतरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
23.	सतरोहन उराँव ग्राम देवलगडा पोस्ट सराढु, थाना टण्डवा, चतरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
24.	चमन मुण्डा एवं अन्य ग्राम तेतरटांड, पोस्ट सराढु, थाना टण्डवा, चतरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
25.	गदिरा उराँव पुत्र श्री थोमया उराँव ग्राम देवलगडा, पोस्ट सराढू, थाना टण्डवा, चतरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
26.	साधना उराँव व अन्य	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
27.	राजकुमार उराँव एवं अन्य ग्राम देवलगडा, चतरा	60 डिसमिल का पट्टा नहीं दिये जाने के संबंध में	
28.	बुधु उराँव पुत्र स्व. रति उराँव एवं अन्य प्रार्थीगण	मगध अधिग्रहित भूमि की पट्टे की मांग	मगध
29.	दुर्गा उराँव पुत्र श्री करमा उराँव ग्राम देवलगडा, पोस्ट	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	

	सराढु, थाना टण्डवा, चतरा		
30.	पवन उराँव ग्राम देवलगड्डा, पोस्ट सराढू, थाना टण्डवा, चतरा	जमीन के पट्टे में नाम सुधार करवाने के संबंध में	
31.	मंगरा उराँव पुत्र स्व. मंगु उराँव ग्राम देवलगड्डा, थाना टण्डवा, चतरा	जमीन का भौतिक सत्यापन करवाने के संबंध में	मगध
32.	अमृत उराँव पुत्र श्री स्व. सोमरा उराँव एवं अन्य प्रार्थीगण सुईयाटांड एवं बुढ़ीपतरा, सराढु, जिला चतरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
33.	बिनोद टोप्पों, ग्राम देवलगड्डा, प्रखण्ड टण्डवा, चतरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
34.	रामजीत उराँव पुत्र स्व. शरो उराँव	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	आम्रपाली
35.	सुरेश उराँव, ग्राम देवलगड्डा, प्रखण्ड टण्डवा, चतरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
36.	धनेश्वर उराँव एवं अन्य टोला तेतरटांड, ग्राम सराढु, थाना टण्डवा, चतरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
37.	लटिया उराँव पुत्र श्री बन्धु उराँव एंव अन्य प्रार्थीगण ग्राम उड़सु थाना टण्डवा, जिला चतरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
38.	कपिल उराँव ग्राम देवलगड्डा, थाना टण्डवा, चतरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
39.	विरेन्द्र कुमार उराँव ग्राम देवलगड्डा, पोस्ट सराढु, जिला टण्डवा, चतरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	

40.	रामजीत उराँव एवं अन्य ग्रामवासी ग्राम उडसू, चतरा	रसीद निर्गत, भूमि की जाँच, पट्टा एवं मुआवजा दिलवाने के संबध में	आम्रपाली
41.	ज्ञानी टाना भगत ग्राम ठेना, पंचायत हेंजदा बेंती, थाना पिपरवार, थाना टण्डवा, चतरा	गलत व्यक्तियों के नाम से पट्टा निर्गत करने के संबंध में	अशोका
42.	धनेश्वर उराँव एवं अन्य प्रार्थीगण ग्राम देवलगड्डा, चतरा	ग्रामवासियों की समस्या के संबंध में	मगध
43.	सोहराय भगत पिता स्व. विचु भगत, ग्राम सराढु टोला, प्रखण्ड टण्डवा, चतरा	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
44.	छात्रपाल साव ग्राम देवलगड्डा, थाना टण्डवा, चतरा	भौतिक सत्यापन के संबंध में	मगध
45.	प्रेम कुमार प्रसाद पुत्र श्री गोवर्धन साव, ग्राम देवलगढ़ा, पोस्ट सराढु, चतरा	भौतिक सत्यापन करवाने के संबंध में	मगध
46.	जयराम उराँव पुत्र श्री बलदेव उराँव एवं अन्य प्रार्थीगण ग्राम सुईयाटांड, थाना टण्डवा, जिला	पट्टा निर्गत करवाने के संबंध में	
47.	रामसेवक साव ग्राम कुण्डा पोस्ट सराढु थाना टण्डवा, चतरा	भौतिक सत्यापन करवाने के संबंध में	मगध
48.	बसंत कुमार ग्राम देवलगड्डा पोस्ट सराढु, थाना टण्डवा, चतरा	भौतिक सत्यापन करवाने के संबंध में	मगध
49.	कुलदीप साहू एवं प्रार्थीगण ग्राम देवलगड्डा, थाना टण्डवा,	भौतिक सत्यापन करवाने के संबंध में	

	चतरा		
50.	संजय उराँव पुत्र स्व. चितरा उराँव, ग्राम कल्याणपुर, थाना पिपरवार, चतरा	भूमि स्वामित्व सत्यापन के संबंध में	पिपरवार परियोजना
51.	सुगियाँ उराँव ग्राम सिदालू, थाना पिपरवार, चतरा	भूमि का सत्यापन करवाने के संबंध में	पिपरवार रेलवे साइडिंग निर्माण

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन चतरा द्वारा

उक्त सभी प्रकरणों तथा जनसुनवाई के दौरान प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में सैन्ट्रल कोलफील्डस प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि नौकरी, मुआवजे तथा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी ।

भूमि सत्यापन, पट्टे जारी करने, बन्दोबस्ती, वन अधिकार अधिनियम तथा भूमि अतिक्रमण से संबंधित मामलों पर जिला प्रशासन चतरा द्वारा भी तत्काल कार्यवाही का आश्वासन दिया गया ।

इसके अलावा, जनसुनवाई के दरम्यान आये सी.सी.एल. क्षेत्र के लोगों ने बताया कि सी.सी.एल. द्वारा बसाई गई विस्थापितों के लिये बनाई गई कालोनियों की स्थिति अच्छी नहीं है । यहां रोड़ निर्मित नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है एवं शिक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है । उपस्थित सी.सी.एल. के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे शीघ्रता से इन शिकायतों को दूर करेंगे ।

जिला चतरा की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

<u>दिनांक 19/4/2016</u>

जिला चतरा की अतिथिशाला में श्री अमित कुमार, उपायुक्त चतरा, श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह, डी.डी.सी., श्री भोलानाथ लागूरी, जिला कल्याण पदाधिकारी, श्री राजेश प्रजापति, एल.आर.डी.सी., श्री रविन्द्रनाथ मिश्रा, डी.एफ.ओ., चतरा उत्तर एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ की गई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत निम्नानुसार है ।

बैठक की शुरूआत में माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित पदाधिकारियों को आयोग के गठन, कार्यों एवं भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के बारे में परिचय कराया ।

1. शिक्षा

उपायुक्त चतरा ने बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के 9000 छात्रों को कक्षा 1 से कक्षा 4 तक 45 लाख रूपये की छात्रवृति दी गई । कक्षा 5 से कक्षा 6 के 2292 छात्रों को 22 लाख 92 हजार रूपये की छात्रवृति वितरित की गई । कक्षा 1 से तक छात्रवृति की राशि नकद रूप में छात्रों को दी जाती है । जबकि 5 से 6 कक्षा के छात्रों का बैंक में खाता खुलवाकर राशि उनके खातों में जमा करवा दी जाती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने 4 कक्षा के बाद छात्रों की घटती संख्या का कारण पूछा जिसका जिला प्रशासन की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि छात्रों की संख्या घटने का कारण हो सकता है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण छात्रों को छात्रवृति समय पर नहीं मिल रही है । जिला कल्याण पदाधिकारी को सलाह दी गई कि इस मामलें में जाँच करवाकर इस कमी को दूर करने के प्रयास करें ।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन चतरा द्वारा

उपायुक्त चतरा ने बताया कि 700 छात्र-छात्राओं को साईकिल वितरण के लिये 21 लाख रूपये की राशि वितरित की गई । इस योजना का लाभ उन छात्र-छात्राओं को मिलता है, जिनका घर विद्यालय से 2 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर है । राज्य सरकार के आदेशानुसार छात्र-छात्राओं से डी.बी.एफ. का फार्म भरवाकर मांगा जाता है, इसके आधार पर इनका खाता खुलवाकर साईकिल खरीदने की राशि सीधे इनके बैंक खाते में जमा करा दी जाती है ताकि छात्र-छात्रा अपनी स्वेच्छा से साईकिल खरीद सके । साईकिल खरीदने के लिये 3000/- रूपये की राशि दी जाती है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इनको दी गई राशि से साईकिल खरीदी गई या नहीं, हो सकता है इस राशि का माता-पिता दुरूपयोग कर रहे हो । सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिये जिससे राशि की जगह सीधे साईकिल खरीदकर छात्र-छात्राओं को वितरित की जा सके । जिला प्रशासन को ऐसा प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिये ।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन चतरा द्वारा

माननीय अध्यक्ष द्वारा दूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतू आश्रम विद्यालय खोलने का भी सुझाव दिया । जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि बगर मोड़ पर एक आश्रम विद्यालय खोला गया है । जिसका कार्य अन्तिम चरण में है । सुझाव दिया कि आश्रम विद्यालय दूर-दराज जंगल में न खोलकर रोड़ के पास खोले जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिये आ सकें एवं बच्चों को असुरक्षित महसूस न कर सकें । जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि कुन्दा या यावालौंग दोनों में से एक जगह आश्रम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया है । जिला प्रशासन को राज्य सरकार को सुझाव देना चाहिये कि विद्यालय खोलने की उपयोगिता कहा पर है ।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन चतरा

2. पेयजल

इन लोगों को पानी लेने के लिये बहुत दूर जाना पड़ता है । जिला प्रशासन अधिकारियों ने बताया कि पेयजल की व्यवस्था सार्वजनि क्षेत्रों में उपक्रमों के सहयोग से सामाजिक कार्पोरेट दायित्व के तहत प्रयास कर रहें हैं । 5 गाँवों को आर.ओ. का पानी देने

के लिये चिन्हित किया गया । सलाह दी गई कि योजना बनाकर जिला प्रशासन द्वारा पेयजल की समस्या स्थाई समाधान किया जाना चाहिये ।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन चतरा

3. विद्युतीकरण

जिला उपायुक्त चतरा ने बताया कि दार, कुन्दा एवं लावालौंग ब्लॉकों में बिजली की सुविधा नहीं है । इसका कारण यह है कि बिजली विभाग पिल्लर/खम्भें लगाकर कहते है कि बिजलीकरण हो गया है एवं बिजली विभाग सुचारू रूप से कार्य न करना । बिजली विभाग द्वारा जरूरत के अनुसार उतनी किलोवाट के ट्रांसफार्मर नहीं लगाये जाते, जिसके कारण ट्रांसफार्मर जल्दी खराब हो जाते हैं । खराब हो जाने के बाद 5-6 महीने लग जाते है दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने में । बिजली विभाग द्वारा तीन फेज नहीं किये गये जबकि यहाँ पर तीन फेज की बिजली होना अत्यन्त जरूरी है । माननीय अध्यक्ष महोदय ने सौर ऊर्जा के उपकरणों की उपयोगिता बढ़ाने हेतु प्रयास करने हेतु जोर दिया ।

अनुवृति कार्यवाही झारखण्ड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4. वन अधिकार अधिनियम

उपायुक्त चतरा ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जो आवेदन वन भूमि पट्टा प्राप्त करने के लिये आते हैं जिला समिति द्वारा उनका निष्पादन नहीं हो पाता । इस कारण यह है कि जनजाति वर्ग के लोगों के साथ अन्य वर्ग को लोग भी आवेदन कर देते है । अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त चतरा को कहा कि ग्राम सभा स्तर पर सत्यापित/पास होने के बावजूद वन भूमि पट्ट वितरण का प्रतिशत कम क्यों है । बताया गया कि यह मामले जिला स्तर पर लंबित नहीं है, ये मामले वन विभाग में लंबित है । अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी कि वन विभाग द्वारा जल्दी से जल्दी सत्यापित कर जिला समिति को भेजा जाना चाहिये ताकि आदिवासियों को उनका अधिकार समय पर मिल सकें । अध्यक्ष महोदय ने खेद जताया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित हुआ है लेकिन इसका सुचारू रूप से पालन नहीं हो रहा है । उपायुक्त चतरा ने विश्वास दिलाया कि इन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जायेगा । माननीय अध्यक्ष द्वारा सामुदायिक दावा भी जनजाति वर्ग को दिलवाने हेतु सुझाव दिया ।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन चतरा

5. आदिम जनजाति विकास

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि PVTG (आदिम जनजाति समूह) के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन इनकी संख्या घट रही है । ये लोग अपनी समस्याओं को बताने में भी असमर्थ है । नियमानुसार इन लोगों को राज्य सरकार की ओर से 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल देने का प्रावधान है लेकिन राशन वितरण सहीं ढंग से नहीं हो पा रहा है । उपायुक्त चतरा ने बताया कि राशन वितरण का कार्य

लोकल डीलरो को दिया गया है जोकि इनके घरों के नजदीक है । अधिकतर परिवारों को राशन कार्ड दे दिया गया है एवं जिनका रह गया है कैम्प लगाकर उन लोगों से भी आवेदन लिये जा रहे है । इनके लिये राज्य सरकार द्वारा 600/- मासिक पेंशन देने का प्रावधान है । सलाह दी गई कि इनका बैंक खाता खुलवाकर पेंशन की राशि सीधे उनके खाते में जमा करवानी चाहिये । उपायुक्त चतरा ने कहा कि इनके लिये शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना प्रस्तावित है ।

अनुवृति कार्यवाही जिला प्रशासन चतरा

बैठक के उपरान्त श्रीमती शोभा कुजूर, थानेश्श्वर उराँव, बहादुर उराँव, संदीप मुण्डा, संजय उराँव, राजू उराँव एवं अन्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा की । इन सभी की समस्यायें जमीन से संबंधित थी । उपायुक्त चतरा ने विश्वास दिलाया कि इनकी समस्याओं को समाधान शीघ्रता से किया जायेगा ।

***